न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, कोटा

कमरानं. 09, कलेक्ट्रेट परिसर, कलेक्ट्रेट, नयापुरा, कोटा, राज.:–0744–2325871

GCMS NO.-2022/99

मिसलनम्बर– 27 / 2022

1.श्रीमति संतोष मीणा उर्फ संतोष देवी पत्नी दुलीचंद मीणा आयु 63 वर्ष जाति मीणा निवासी मकान नं0 458 केशवपुरा सेक्टर 4 रंगबाड़ी मेन रोड कोटा

प्रार्थी।

बनाम

1.श्रीमति सुनीता मीणा पत्नी विजय कुमार मीणा पुत्री मोतीलाल मीणा आयु 38 वर्ष निवासी मकान नं0 458 केशवपुरा सेक्टर 4 रंगबाड़ी मेन रोड

–:निर्णय:–

(भरण–पोषण एवं वरिष्ठ नागरिकों का कल्याण अधिनियम के तहत् प्रार्थना–पत्र।)

दिनांक 28/11/24

उपस्थिति:–

1.श्री देवेन्द्र मीणा प्रार्थी अधिवक्ता।
2.श्री रविन्द्र विजय अप्रार्थी अधिवक्ता।

भरण–पोषण एवं वरिष्ठ नागरिकों का कल्याण अधिनियम के तहत् पत्रावली निर्णय प्रार्थना–पत्र वास्ते पेश हुई। पत्रावली में निहित दस्तावेज यथा प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र का अवलोकन किया गया। प्रार्थना–पत्र में प्रार्थीपक्ष द्वारा निवेदित सक्षेंपित तथ्य इस प्रकार हैं कि प्रार्थीया 63 वर्षीय महिला है तथा कानून की पालना करने वाली कोटा शहर की सभ्य एवं शांति प्रिय महिला है तथा मकान न०–458, केशवपुरा, सेक्टर–4, रंगबाडी मेन रोड, कोटा–राज० में रहती है तथा अप्रार्थीया जो कि प्राथीया के इकलौते पुत्र की पुत्रधु है। प्रार्थीया का स्वंय का एक मकान, मकान सं. 458, केशवपुरा सेक्टर–4, रंगबाडी मेन रोड, कोटा में स्थित है तथा प्रार्थीया उक्त मकान के 4 कमरे किराये पर देकर उससे होने वाली आय से ही अपनी गुजर बसर करती है, इसके अतिरिक्त प्रार्थीया के पास आय का कोई अन्य साधन नही है। प्रार्थीया की इकलौती बहू सुनीता का व्यवहार विवाह के पश्चात् से ही प्रार्थीया व उसके पति के प्रति अमर्यादित एवं अपमानजनक रहा है। वह आये दिन किसी भी बात पर भडक जाती और सारे घरवालों को गंदी–गंदी गालियां देती है उसके इस व्यवहार से तंग आकर उसका पति (प्रार्थीया का पुत्र) जुलाई 2008 में हुए विवाह कें कुछ समय बाद बैंगलोर चला गया तथा नौकरी करने लगा। प्रार्थिया व उनके पति ने अपनी बहू को बेटी से भी बढकर मानकर उसकी सारी गलतियां क्षमा करते हुए अपनी बहु सुनीता मीणा की इच्छाओं का सम्मान करते हुये उसे दिल्ली में आईएएस को तैयारी कराने के लिये एक विख्यात प्रतिष्ठान "Made Easy" में आई.ई.एस. की तैयारी करवायी, जिसका सारा खर्चा प्रार्थिया व उनके पति द्वारा किया गया। छः माह दिल्ली में तैयारी करने के बाद सुनिता वापस कोटा आ गई । लेकिन पुनः लडाई झगडा करन लगी व आई.ए.एस. की परीक्षा न देकर, एक कलर्क का एक्जाम दिया जिससे उसकी सरकारी नौकरी बैंगलोर में लग गई तथा बैंगलोर जाकर अपने पति के साथ रहने लगी तथा पति के साथ रहने के दौरान रोज–रोज नई –नई फरमाईशें करती एवं प्रार्थीया के पुत्र (सुनीता मीणा के पति) द्वारा

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कोटा

उपखण्ड अधिकारी
कोटा

जब असमर्थता व्यक्त की जाती तो लडाई झगडा करने लगती तथा गन्दी गन्दी गालियां देकर प्रार्थीया व उसके पति को भी कोसती । कहती कि मुझे आजादी से जीना है। यदि मेरी फरमाईशें पूरी नही कर सकते तो कोटा का मेन रोड का केशवपुरा वाला मकान मेरे नाम करवा दो, इस बात का दबाव अभियुक्ता, प्रार्थीया व उसके पुत्र पर बनाने लगी, इसी के चलते एक बार हिट लेकर आत्महत्या का प्रयास भी कर चुकी है। मकान हडपने के उद्देश्य से सुनीता मीणा ने अपने पति से लडाई झगडा कर झूठी मनगढंत रचना करते हुए सांठगांठ करके अपना ट्रांसफर कोटा–राज० मैं करवा लिया तथा दिनांक 06 जुलाई 2012 को सुनीता मीणा लडाई झगडा करके कोटा आ गयी तथा जबरदस्ती प्रार्थिया के मकान में रहने लग गई तथा आये दिन प्रार्थीया के साथ लडाई झगड़ा व मारपीट करने लग गई तथा कहने लगी कि यह मकान मेरे नाम कर दो वरना दहेज के झूठे मुकदमें में फंसा दूंगी तथा तेरे पति को बलात्कार, जबरदस्ती करने के झूठे इल्जाम लगा दूंगी। आये दिन किसी न किसी बात को लेकर झगडना उसकी आदत बन गई। प्रार्थीया की बेटिया कभी कभार घर आ जाये तो उन्हें गंदी – गंदी गालियां देकर भगा देती। इस कारण प्रार्थीया की बेटियों का अन्य रिश्तेदारों का भी अपमान कर चुकी है, जिससे समाज में प्रार्थीया व प्रार्थीया के पति की प्रतिष्ठा भी धूमिल हो रही है। दिनांक 15 नवम्बर 2021 को प्रार्थीया व उसका पति अपने पुत्र से मिलने बैंगलोर गये तथा 23 नवम्बर 2021 को पुनः कोटा लौटे तो उन्होने देखा कि प्रार्थिया के मकान के आगे के हिस्से के चारों कमरों में प्रार्थीया का सामान नही था। सुनिता मीणा ने उनमें अपना सामान रखकर ताला लगा दिया तथा प्रार्थीया के गहने कपडे सभी अधिग्रहण में कर लिये तथा प्रार्थीया के सम्पत्ति – जायदाद के कई दस्तावेज गायब कर दिये तथा प्रार्थीया से कहा कि मेरे नाम मकान करें नही तो तेरा जीना हराम कर दूंगी, अभी तो सामान निकाला है, अगर मकान मेरे नाम नही किया तो तुम दोनो का रोड पर पटक दूंगी। प्रार्थीया के पास आय का साधन उन चार कमरों से प्राप्त किराया ही था, तथा लगभग 1–2 महिने पहले कमरे खाली हुये थे तब प्रार्थीया ने अपना सामान उन कमरों में शिफ्ट कर दिया तथा उन कमरों के स्थान पर प्रार्थीया अपने ही मकान के पीछे वाले कमरे में किराये पर देने का मानस बना रही थी। लेकिन अभियुक्ता ने मौका पाकर 15 नवम्बर से 23 नवम्बर 2021 के मध्य प्रार्थीया व उसके पति की अनुपस्थिति में प्रार्थीया के नगदी, जेवर व प्रार्थीया के पति के सम्पत्ति के कई दस्तावेज खुर्द–बुर्द कर दिया तथा चारों कमरों पर अभियुक्ता सुनीता मीणा ने जबरदस्ती अपना कब्जा जमा लिया। इस प्रकार प्रार्थीया की पुत्रवधु सुनीता मीणा अनाधिकृत तरीके से प्राथीया के मकान पर कब्जा जमाने पर आमादा है तथा आये दिन प्रार्थीया व उसके पति को परेशान करने व प्रताडित करने का कोई बहाना नही छोडती है। कई बार प्रार्थीया व प्रार्थीया के पति के साथ अभियुक्ता सुनीता मीणा मारपीट भी कर चुकी है तथा मकान अपने नाम कराने का दबाव बना रही है। अन्यथा दहेज व मारपीट के झूठे केस तथा प्रार्थीया के पति पर छेडखानी व जबरदस्ती के झूठे केस लगाने पर आमादा है। प्रार्थीया 63 वर्षीय वृद्ध महिला है तथा अक्सर बीमार रहती है। इस प्रकार अप्रार्थीया का यह परम कर्तव्य है कि वह प्रार्थीया की सेवा सुश्रूषा व भरण पोषण के दायित्वों का निर्वहन करें। प्रार्थीया के मिल्कीयती परिसर को तत्काल प्रभाव से खाली कर प्रार्थीया के शांति पूर्ण जीवन में किसी प्रकार का व्यवधान उत्पन्न नही करे और न ही प्रार्थी स्वअर्जित सम्पत्ति के बेचान अथवा नामांतरण के लिये प्रार्थी व उसकी पत्नी को विवश करे। अप्रार्थीया, सेन्ट्रल बैंक ऑफ इण्डिया शाखा तलवंडी, में राजकीय कर्मचारी है, उसे वेतन् से आय के साथ–साथ आवास भत्ता भी अलग से मिलता है, फिर भी अप्रार्थीया, प्रार्थीया के मकान पर कब्जा करने पर आमादा है। अतः अत्यधिक विनम्रतापूर्वक यह प्रार्थना की जाती है कि माननीय न्यायालय अप्रार्थीया को इस बाबत् पाबन्द करे कि अप्रार्थीया, प्राथीया के भरण पोषण व देखभाल की समुचित व्यवस्था एवं प्रबन्ध करें, प्रार्थीया के साथ समुचित व्यवहार करें और प्रार्थीया के

उपखण्ड अधिकारी
कोटा

आवासीय परिसर को खाली कर स्वंय के निवास के लिये पृथक से व्यवस्था करें । प्रार्थीया के साथ ऐसा कोई कृत्य अमल में नही लावे जिससे प्रार्थीया के जीवन की सुख–शांति भंग हो और प्रार्थीया को किसी भी प्रकार से शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक आघात पहुंचे। प्रार्थीया को शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करने दे एवं उनके साथ किसी प्रकार से अभद्र व्यवहार न करें। प्रार्थीया की मिल्कीयती सम्पत्ति के बेचान नामान्तरण के लिये विवश न करें।

प्रार्थना–पत्र को दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी की तलबी हेतु नोटिस प्रेषित किये गये।

अप्रार्थीया की ओर से जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया है कि प्रार्थीया शान्तिप्रिय महिला नही है बल्कि एक बहुत ही झगड़ालू व लड़ाकू प्रवृत्ति की महिला है तथा उसका मकान नं0 458 मे निवास करना भी अस्वीकार है, मकान नं0 458 प्रार्थीया का है ही नही। यह तथ्य प्रार्थीया द्वारा जो प्रार्थना पत्र के साथ दस्तावेज प्रस्तुत किये गये है उसी से स्पष्ट है क्योकि वह मकान नं0 458–ए के है। यह स्वीकार है कि प्रार्थीया द्वारा उसके मकान में चार कमरे किराये पर देना व उससे उसकी 15000/–रूपये मासिक किराये की आय है इस मद में यह अंकित करना कि उसकी आय का अन्य साधन नही है, पूर्णतया अस्वीकार है क्योकि प्रार्थीया के पति श्री दुलीचन्द मीणा के नाम ग्राम बोरदा पटवार हल्का किशनपुरा तहसील मांगरोल में 10.800 हेक्टर भूमि स्थित है जिसमे उनका 1/2 हिस्सा है तथा 1/2 भाग अप्रार्थीया के पति विजय कुमार के नाम है। इसी प्रकार प्रार्थीया के पति श्री दुलीचन्द मीणा के नाम लक्ष्मीपुरा तहसील पीपल्दा जिला कोटा मे 7.1200 हेक्टर भूमि स्थित है और जिसमे उनका 1/7 हिस्सा है जिससे प्रार्थीया व उसके पति दुलीचन्द जी की लगभग 12 से 15 लाख रूपये वार्षिक आमदनी है और इस प्रकार उनकी आवश्यकता से अधिक आमदनी है। शादी के बाद से ही प्रार्थीया तथा अप्रार्थीया के ससूर व पति का व्यवहार अप्रार्थीया के साथ ठीक नही रहा वह आये दिन अप्रार्थीया के साथ लडाई झगड़ा करते रहते थे तथा ननंद व अन्य परिवार के सभी लोग मिलकर आये दिन अप्रार्थीया को ताना मारते रहते थे कि हमारा बेटा व भाई आई आई टीयन है तथा अप्रार्थीया से कहते थे कि तेरे पिता ने दहेज मे कुछ नही दिया यदि दूसरी जगह शादी करते तो 30 लाख रूपये देने वाले तैयार थे जबकि मेरे पिता ने शादी के समय 9 लाख रूपये, तिलक के समय 5 लाख रूपये नकद, कीमती आभूषण सोने की अंगूठी व 50 हजार रूपये कपडो के लिये दिये थे व 10 तोला सोना शादी के समय दिया था और इस प्रकार प्रार्थीया द्वारा व परिवार के अन्य सदस्य ससुर, पति व ननदो द्वारा आये दिन अप्रार्थीया को परेशान किया जाता था यहां तक की सभी लोगो ने मिलकर मेरे साथ अनेक बार मारपीट की। शादी के बाद से ही अप्रार्थीया उसके पति के प्लाट पर बने हुये मकान मे निवास कर रही है जो अप्रार्थीया के पति के नाम है उसमे अपने दोनो बच्चो तृषा पुत्री 11 वर्ष विहान पुत्र 8 वर्ष के साथ शान्तिपूर्वक निवास कर रही है जिससे मुझ अप्रार्थीया को बेदखल करने का प्रार्थिया को कोई अधिकार प्राप्त नही है क्योकि यह मकान जिन प्लाटो पर बना हुआ है उससे प्रार्थीया का कोई लेना देना नही है। इस मद मे जो 15 नवम्बर 2021 को बैंगलोर जाना व 23 नवम्बर 2021 को पुनः कोटा लौटने के बीच की जो घटना प्रार्थीया ने बताई है वह बिल्कुल असत्य है क्योकि इस प्रकार की कोई घटना होती तो निश्चित रूप से प्रार्थीया व उसके पति अप्रार्थीया के विरूद्ध कोई पुलिस रिपोर्ट कराते। प्रार्थीया का मकान नं० 458 से कोई लेना देना नही है, यह मकान किसी अन्य व्यक्ति का है। प्राथीया का मकान तो उसके द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज के आधार पर ही मकान नं० 458–ए के है और इसलिये यह सम्पूर्ण प्रार्थना पत्र मात्र अप्रार्थीया को व उसके पुत्र एवं पुत्री को परेशान करने की नियत से तथा उसके पति के मकान से जिसमे वह शान्तिपूर्वक निवास कर रही है तथा अपने बच्चो को पाल पोष रही है उसमे गलत तथ्य बताकर अप्रार्थीया को बेदखल करने की नियत से प्रस्तुत किया गया है। प्रार्थीया द्वारा जो मकान का पट्टा व आवंटन पत्र प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत किया है मकान नं०

उपखण्ड अधिकारी
कोटा

458–ए कच्ची बस्ती केशवपुरा का है जबकि वह अपने प्रार्थना पत्र मे अपना मकान 458 केशवपूरा सेक्टर 4, रंगबाडी मैन रोड बताकर आई है और इसलिये उसके द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज के आधार पर व प्रार्थना पत्र मे मकान नं० भिन्न लिखे जाने के कारण भी खारिज होने योग्य अप्रार्थीया जिस मकान मे निवास कर रही है वह उसके पति विजय कुमार के नाम है जिसमे वह अपने बच्चो के साथ निवास कर रही है तथा उनकी पढाई लिखाई व लालन पालन कर रही है परन्तु अप्रार्थीया को परेशान करने की नियत से यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। अतः जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र सव्यय खारिज फरमाया जावे।

प्रार्थीया की ओर से लिखित बहस पेश की गई एवं अप्रार्थीया की ओर से अधिवक्ता द्वारा अपने जवाब प्रार्थना पत्र में अंकित कथनों को दोहराया।

उपरोक्तानुसार बाद बहस पत्रावली में निहित दस्तावेजों का अवलोकन एवं बहस में दर्शित तथ्यों पर मनन किया गया। प्रार्थीया द्वारा कथन किया गया है कि "प्रार्थीया उक्त मकान के 4 कमरे किराये पर देकर उससे होने वाली आय से ही अपनी गुजर बसर करती है, इसके अतिरिक्त प्रार्थीया के पास आय का कोई अन्य साधन नही है। अप्रार्थीया ने मौका पाकर प्रार्थिया के मकान के आगे के हिस्से के चारों कमरों में अप्रार्थीया सुनिता मीणा ने उनमें अपना सामान रखकर ताला लगा दिया तथा प्रार्थीया के गहने कपडे सभी अधिग्रहण में कर लिये तथा प्रार्थीया के सम्पत्ति – जायदाद के कई दस्तावेज गायब कर दिये।" अप्रार्थीया की ओर से कथन किया गया है कि "इस प्रकार की कोई घटना होती तो निश्चित रूप से प्रार्थीया व उसके पति अप्रार्थीया के विरूद्ध कोई पुलिस रिपोर्ट कराते। प्रार्थीया द्वारा उक्त मकान में चार कमरो के किराये से 15000/–रूपये मासिक आय प्राप्त होती है। इसके अलावा प्रार्थीया के पति के नाम कृषि भूमि भी मौजूद है जिससे प्रार्थीया को पर्याप्त आमदनी होती है।" परन्तु प्रार्थीया द्वारा अपने उक्त कथन के सम्बंध में कोई पुलिस रिपोर्ट या अन्य दस्तोवेज पेश नही किये है जिससे प्रार्थीया के कथनों की पुष्टि की जा सके। अप्रार्थीया की ओर से प्रस्तुत फर्द दस्तावेज के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि प्रार्थीया के पति के पास कृषि भूमि उपलब्ध है एवं प्रार्थीया द्वारा अपनी लिखित बहस में अप्रार्थीया द्वारा किये गये कथनों के विरोध नही किया गया है। जिस कारण से अप्रार्थीया के द्वारा किये गये कथन उचित प्रतीत होते है। अतः हम अप्रार्थीया के इस कथन से सहमत है कि प्रार्थीया के पास आय के पर्याप्त साधन मौजूद है। प्रार्थीया की ओर से प्रस्तुत दस्तावेज मकान के आवंटन पत्र की प्रति के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि प्रार्थीया के स्वामित्व वाले मकान के पश्चिम में अप्रार्थीया के पति विजय कुमार का मकान स्थित है। अप्रार्थीया का यह भी कथन है कि अप्रार्थीया जिस मकान मे निवास कर रही है वह उसके पति विजय कुमार के नाम है जिसमे वह अपने बच्चो के साथ निवास कर रही है। अप्रार्थीया का उक्त कथन भी उचित प्रतीत होता है। उपरोक्त विवेचनानुसार प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत भरण पोषण अधिनियम स्वीकार किया जाना उचित नही पाते है। अतः प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अस्वीकार कर खारिज किया जाता है।

उक्त निर्णय आज दिंनाक: 28/11/24 को मेरे द्वारा लिखा जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

गजेन्द्र सिंह
उपखण्ड अधिकारी
कोटा

उपखण्ड अधिकारी
कोटा

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कोटा